

एस-11011/3/2015-एसबीएम

भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

12वाँ तल, पं. दीनदयाल 'अंत्योदय भवन,

सीजीओ कॉम्प्लैक्स, लोदी रोड,

नई दिल्ली-110003

दिनांक 01.03.2017

सेवा में

प्रमुख सचिव/सचिव,
ग्रामीण स्वच्छता प्रभारी,
सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

विषय: जिलों के लिए ओडीएफ घोषणा प्रारूप के संबंध में।

महोदया/महादेय,

जैसा कि आपको विदित है स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के प्रारंभ से ग्रामीण क्षेत्रों में फोकस शौचालयों के निर्माण से गांवों/जीपीएस/जिलों आदि में शत प्रतिशत खुले में शौच मुक्त स्थिति प्राप्त करना हो गया है। इस समय स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत देश में 91 जिले ओडीएफ बन गए हैं और बहुत से जिले ओडीएफ बनने की दिशा में हैं।

2. देश में ओडीएफ जिलों की बढ़ी हुई संख्या को देखते हुए मंत्रालय ने जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर द्वारा जिलों को ओडीएफ के रूप में घोषित करने हेतु एक प्रारूप (संलग्न) बनाया है।

3. आपके राज्य में ओडीएफ जिलों के सभी जिला कलेक्टरों को ओडीएफ जिले की पुष्टि, संलग्न प्रारूप में इस मंत्रालय को प्रस्तुत करने का निदेश दिया जाए। भावी अनुपालन हेतु इसे सभी जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टरों के संज्ञान में भी लाया जाए।

संलग्नक: यथोक्त

भवदीय,


(अरुण बरोका)

संयुक्त सचिव भारत सरकार

दूरभाष 011-24362192

फैक्स 011-24369831

ई-मेल: arun.baroka@nic.in

प्रति:- 1) वेबसाइट पर डालने हेतु तकनीकी निदेशक (एनआईसी)

जिले की ओडीएफ के रूप में घोषणा करने के लिए प्रारूप

मैं.....जिला.....राज्य..... का जिला
मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ)/जिला विकास अधिकारी/डीडीओ एतद्
द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मेरा जिला दिनांक.....से खुले में शौच मुक्त
हो गया है।

हस्ताक्षर.....

अधिकारी का नाम.....

दिनांक.....

कार्यालय मुहर

